उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
सं0–वे0आ0–1–994 / दस–13–28(एम) / 2007
लखनऊः दिनांकः 7 अक्टूबर, 2013

इस अनुभाग के पत्र सं0–वे0आ0–1–448 / दस–13–28(एम) / 2007 दिनांक 13 मई, 2013 के क्रम में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1–8 / 2013–स्था0–II (ख) दिनांक 25 सितम्बर, 2013 की (हिन्दी / अग्रेजी) प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2013 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2 समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5 इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या–वे0आ0–1–994(1) / दस–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
18. सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
19. प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
20. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

आज्ञा से,

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

सं. 1-8/2013-स्था.-II (ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 25 सितंबर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भते का भुगतान - 01.07.2013 से लागू संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 25 अप्रैल, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(2)/2013-संस्था.II(ख) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भते की वर्तमान दर को 01 जुलाई 2013 से 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2. इन आदेशों के अन्तर्गत महंगाई भते का विनियमन करते समय, इस मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-संस्था.-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध लागू रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

4. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे तथा यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए गये हैं।

(किशोरी रमण शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

No. 1-8/2013-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated: 25th September, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.7.2013.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1(2)/2013-E-II (B) dated 25th April, 2013 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 80% to 90% with effect from 1st July, 2013.

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1(3)/2008-E-II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

5. In so far as the employees working serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

6. The Hindi version of this O.M. is also issued.

(Kishori Raman Sharma)
Under Secretary to the Government of India

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc., as per standard list, (with usual number of spare copies)

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 54 सा0 वित्त–11.10.2013–(1026)–1000 प्रतियां (आफसेट)।